प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़,बिलासपुर

दांडिक अपील क्र. 715/2007

शैलेंद्र कुमार एवं अन्य

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय दिनांक 11.9.2009 को घोषित किये जाने हेतु सूचीबद्ध किया जावे ।

हस्ताक्षरित

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्र. 715/2007

अपीलार्थीगण : 1. शैलेंद्र कुमार उर्फ़ शैलू तिवारी

(जेल में) पिता ज्वाला प्रसाद,उम्र लगभग 24 वर्ष

2. ज्वाला प्रसाद, उम्र लगभग 65 वर्ष

पिता कोशल प्रसाद तिवारी

3. श्रीमती शशि तिवारी, उम्र लगभग 61 वर्ष

पति ज्वाला प्रसाद तिवारी,

सभी निवासी राज किशोर नगर,

केसर आवास,बिलासपुर, पुलिस थाना सरकंडा,

जिला बिलासपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : छ. ग. राज्य

द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना सरकंडा,

बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

(अपील अंतर्गत धारा 374 दंड प्रक्रिया संहिता)

(एकल पीठ: माननीय श्री टी.पी. शर्मा,न्यायमूर्ति)

उपस्थित:

अपीलार्थीगण की ओर से श्री सुरेंद्र सिंह,वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री तरुण डडसेना अधिवक्ता

शासन /प्रत्यर्थी की ओर से श्री अखिल मिश्रा, उप-शासकीय अधिवक्ता

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11 सितंबर,2009 को पारित)

1. इस अपील के द्वारा प्रथम अपर न्यायाधीश,बिलासपुर द्वारा सत्र विचारण क्र. 21/2007 में दिनांक 3.8.2007 को पारित सिद्धदोष एवं दण्डादेश के निर्णय, एतदधीन द्वारा विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को दहेज मृत्यु के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए उन्हें

10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी, की वैधता एवं औचित्यता को चुनौती दी गई है ।

2. सिद्धदोष एवं दण्डादेश के निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि मृतिका की मृत्यु से ठीक पहले यन्त्रणा एवं क्रूरता का कोई साक्ष्य न होने के बावजूद, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को उपरोक्तानुसार सिद्धदोष ठहराया एवं दण्डादेश दिया है और इस प्रकार अवैधता कारित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृतिका नीरा तिवारी का विवाह अपीलार्थी क्र. 1 शैलेंद्र कुमार से हुआ था और अपीलार्थी क्र. 2 और 3 मृतिका के ससुर और सास हैं। अपीलार्थी और मृतिका नीरा तिवारी का विवाह दिनांक 30.5.2006 को रतनपुर महामाया मंदिर में हुआ था और उसने दिनांक 9.8.2006 को अपीलार्थीगण के घर में अपने ऊपर केरोसीन उड़ेलकर आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

अपीलार्थी क्र.2 के सूचना पर दिनांक 10.8.2006 को मर्ग सूचना प्र.पी./9 अभिलिखित की गई थी। मृतिका के पिता ने भी लिखित शिकायत प्र.पी. /2 दर्ज की, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थीगण ने दहेज की मांग की, उसकी बेटी के साथ क्रूरता और यन्त्रणा कारित किया और इस तरह के यन्त्रणा और क्रूरता के परिणामस्वरूप उसने आत्महत्या कर ली। साक्षियों को प्र.पी/1 और प्र.पी/4 के तद्धधीन समंस से आहूत करने के बाद, मृत्यु समीक्षा प्र.पी/3 के तद्धधीन तैयार की गई । घटनास्थल से प्र.पी/5 के अध्यधीन प्लास्टिक का डिब्बा, कपड़े का जला हुआ टुकड़ा,चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े और माचिस की तीली आदि जप्त की गई। शव को प्र.पी/7 के तद्धधीन शव परीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ. विजय कुमार वर्मा द्वारा शव परीक्षण प्र.पी/6 के तद्धधीन किया गया। शव से मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी, मृतिका के शरीर पर जलने के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चोट पाए गए। मस्तिष्क की झिल्ली संकुचित थी, ब्रोकिया (श्वसनी गुहिका) और फेफड़ों में कार्बन के कण मौजूद थे। जलने की चोट मृत्यु पूर्व थी और मृत्यु का कारण अत्यधिक जलना और विषाक्तता के परिणामस्वरूप सदमे से हुई। अभियुक्तों को प्र.पी/8,प्र. पी/10 व प्र.पी/2 के अध्यधीन गिरफ्तार किया गया। पटवारी द्वारा के घटनास्थल का नक्शा प्र.पी/13 तैयार किया गया। प्र.पी/16 के अध्यधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। अन्वेषण अधिकारी ने भी प्र.पी/17 के अनुसार घटनास्थल का नक्शा तैयार किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता')के अंतर्गत साक्षियों के बयान अभिलिखित किए गए। जाँच पूरी होने के बाद,न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी,बिलासपुर के न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया,मामले को सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के

न्यायालय को उपार्पित किया गया,जहाँ से इसे प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,बिलासपुर ने स्थानांतरण पर, विचारण हेतु प्राप्त किया।

5. अपीलार्थीगण /अभियुक्तों का अपराध प्रमाणित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 15 साक्षियों का परीक्षण कराया है। अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के बयान भी संहिता की धारा 113 के तहत लिपिबद्ध किए गए, जहाँ उन्होंने अपने विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्यात्मक तथ्यों से अस्वीकार किया। अपीलार्थीगण ने विशिष्ट बचाव प्रस्तुत किया है कि विवाह से पूर्व, मृतिका नर्स के रूप में कार्यरत थी और विवाह के बाद जब उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, जिससे वह संतप्त व व्यथित थी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. मैंने अपीलार्थीगण के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह व अधिवक्ता श्री तरुण डडसेना तथा शासन/प्रत्यर्थी के उप-शासकीय अधिवक्ता श्री

अखिल मिश्रा को सुना एवं आक्षेपित निर्णय एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया।

7. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़ता से तर्क दिया कि यद्यपि मृतिका नीरा तिवारी,अपीलार्थी क्र. 1 की पत्नी और अपीलार्थी क्र. 2 और अपीलार्थी क्र. 3 की पुत्रवधू,ने अपनी विवाह के 2 महीने और 8 दिन के भीतर दिनांक 9.8.2006 को अपीलार्थीगण के घर में आत्महत्या कर ली थी, उनकी मृत्यु उनकी विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में हुई थी, किन्तु ये तथ्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि अपीलार्थीगण ने दहेज की मांग के संबंध में यन्त्रणा और क्रूरता की थी और वह भी उनकी मृत्यु से ठीक पहले। यह एक आपराधिक मामला है,अभियोजन पक्ष को अपराध के सभी आवश्यक तत्वों को संदेह की छाया से परे साबित करना आवश्यक है। केवल 5 महीने के भीतर असामान्य परिस्थितियों में हुई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मृत्यु के आधार पर यह अनुमान लगाना पर्याप्त नहीं है कि वर्तमान अपीलार्थीगण ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने मृतिका की "दहेज मृत्यु" की है। यह मंदिर में सामूहिक विवाह का मामला व परिस्थिति थी जहाँ समाज के जिम्मेदार व्यक्तियों की उपस्थिति में, दहेज के किसी भी लेन-देन से बचने के लिए, कई व्यक्तियों ने साझा मंच पर विवाह किया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि मृतिका के रिश्तेदारों के साक्ष्य से पता चलता है कि विवाह से पहले अपीलार्थीगण ने अपीलार्थी क्र. 1 के लिए मोटरसाइकिल की मांग की थी,जो उन्होंने विवाह से पहले प्रदान की थी और उन्होंने दहेज की मांग पूरी कर दी थी। इस तरह की संतुष्टि के बाद भी आगे की मांग का कोई अवसर नहीं था क्योंकि शिव कुमार तिवारी (अ.सा.-3)की बेटी और अन्य रिश्तेदारों की बहन या बेटी ने आत्महत्या कर ली है और अपना जीवन का अंत कर लिया है, इसलिए, मृतिका के मायके के संबंधियों ने अपीलार्थीगण के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

खिलाफ साक्ष्य दिया है। भावनाओं या घोषणा के आधार पर दिए गए अभिकथन/बयान कानून के तहत स्वीकार्य सत्य अभिकथन/बयान नहीं हैं। ऐसी मांग,क्रूरता और यन्त्रणा/अत्याचार के अभाव में और वह भी मृतिका की मृत्यु से ठीक पहले,सभी अपीलार्थी दोषमुक्त होने के हकदार हैं। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि मृतिका के निकट संबंधियों के साक्ष्य मृतिका के पति द्वारा यह प्रकट किया गया है कि मृतिका का पति,अर्थात् अपीलार्थी क्र.1 शराब पीता था और उसे पीटता था, जिससे अपीलार्थी क्र. 2 व 3 द्वारा क्रूरता और यन्त्रणा की संभावना समाप्त हो जाती है। सबसे बुरी बात यह है कि साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि मृतिका अपीलार्थी क्र.1 के व्यवहार से संतुष्ट नहीं थी,जो शराब पीता था और उसे पीटता था, इसलिए उसने अपनी जान दे दी और यह दहेज की मांग के संबंध में यन्त्रणा और क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. विद्वान अधिवक्ता ने **कंसराज विरुद्ध पंजाब राज्य और अन्य**[1] के मामले को प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया,जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मृतिका के ससुर को केवल मृतिका के पति का करीबी रिश्तेदार होने के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उनके द्वारा किए गए प्रत्यक्ष कृत्यों को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने आगे **शरद बिरधीचंद सारदा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य**[2] के मामले में तर्क दिया,जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि पीड़िता के निकट संबंधियों में अतिशयोक्ति या बढ़ा-चढ़ाकर बताने की प्रवृत्ति होती है। न्यायालय को उनके साक्ष्यों की अत्यंत सावधानी और सतर्कता से जाँच करनी चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने **सलामत अली एवं अन्य विरुद्ध बिहार राज्य**[3] के मामले पर भी विश्वास करते हुए व्यक्त किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 AIR 2000 SC 2324

2 AIR 1984 SC 1622

3 AIR 1995 SC 1863

किया है कि दहेज की माँग में अभियुक्त के माता-पिता से संबंधित स्पष्ट और निर्णायक साक्ष्य के अभाव में,अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य,जिसमें क गयाहै कि अक्सर केवल पति और पत्नी के बीच झगड़े होते हैं इसके लिए माता-पिता किसी भी दोषसिद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. दूसरी ओर,प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि यह दहेज मृत्यु का मामला है जहाँ अपीलार्थीगण,अर्थात पति और पति के संबंधियों ने मृतिका की शादी के 2 महीने और 8 दिन के भीतर दहेज मृत्यु कर दी थी। विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि अपीलार्थी वे व्यक्ति हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल की माँग की थी और मोटरसाइकिल प्राप्त करने के बाद उन्होंने

फिर से 50000/-रुपये की माँग की और जब मृतिका के माता-पिता इस माँग को पूरा करने में विफल रहे, तो उन्होंने मृतिका पर क्रूरता और यन्त्रणा/अत्याचार किया और इस यन्त्रणा और क्रूरता के परिणामस्वरूप उसने आत्महत्या कर ली और जीवन का अंत करने जैसी उग्रतम कदम उठाया। सामान्य विवेक वाली महिला सहित कोई भी व्यक्ति मामूली बात पर अपना जीवन समाप्त नहीं करेगी, जब तक कि उसे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर न किया गया हो। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अधीनस्थ अदालत ने अपीलार्थीगण को उचित रूप से सिद्धदोष ठहराया है और पूर्वोक्त अनुसार दंडादिष्ट किया गया है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वे किसी भी सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। अपीलार्थीगण को सिद्ध दोष ठहराना एवं दिया गया दंडादेश उचित और न्यायसंगत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उभय पक्षों के प्रतिविरोधात्मक तथ्यों का मूल्यांकन करने के लिए, मैंने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों की परीक्षण किया है। वर्तमान मामले में, यह निर्विवाद है कि मृतिका नीरा तिवारी का विवाह अपीलार्थी क्र.1 से दिनांक 30.5.2006 को रतनपुर मंदिर में सामाजिक व्यवस्था (सामूहिक विवाह)में सम्पन्न हुआ था। अपीलार्थी क्र. 2 और 3 मृतिका के ससुर और सास थे। उसने दिनांक 9.8.2006 को अपीलार्थीगण के घर में आग लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी मृत्यु असामान्य थी क्योंकि उसने विवाह के 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या कर ली थी,अन्यथा भी डॉ. विजय कुमार वर्मा(अ.सा.-7)के बयानों,शव परीक्षण रिपोर्ट(प्र..पी/6) से भी यह प्रमाणित होता है जलना मृत्युपूर्व था और मृत्यु का कारण अत्यधिक जलने,आघात और विषाक्तता के फलस्वरूप था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अंतर्गत दहेज मृत्यु को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"**304 ख.दहेज मृत्यु**.-(1)-जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिये, या उसके सम्बन्ध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था वहाँ ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जायेगा,और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजन के लिये "दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध 11 अधिनियम, 1961 की धारा 2 में है।

(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा।

12. साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख दहेज मृत्यु के संबंध में उपधारणा प्रदान करती है, जो इस प्रकार है :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"113-ख. जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित किया है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए **"दहेज मृत्यु"** का वही अर्थ है, जो भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 304-ख में है।

13. क्रूरता शब्द की व्याख्या भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत भी की गई है, जो इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"498 ए. किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना –जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "क्रूरता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है:-

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है; या

(ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीड़ित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. इस मामले के निर्णय के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या दहेज की मांग के संबंध में मृतिका को उसकी मृत्यु से ठीक पहले क्रूरता और यंत्रणा दी गई थी। अभियोजन पक्ष ने मृतिका के मायके के संबंधियों के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। मृतिका की मां कुमारी बाई तिवारी(अ.सा.-1)ने गवाही दी है कि उसकी बेटी का विवाह रतनपुर-महामाया मंदिर में हुई थी। शादी से

ठीक दो दिन पहले,अपीलार्थी क्र. 1 और 2 ने दोपहिया वाहन की मांग की, फिर उन्होंने कुछ जमीन बेच दी और मोटरसाइकिल प्रदान की। शादी के एक महीने बाद, मृतिका नीरा बाई ने अपने भतीजे राजेश तिवारी को फोन किया और बताया कि उसकी जीवन को खतरा है और उसने उन्हें बुलाया। राजेश तिवारी ने उन्हें सूचित किया और फिर राजेश तिवारी एवं उनके पति शिव कुमार तिवारी अपीलार्थीगण के घर गए जहां दोनों ने अपीलार्थीगण को सलाह दी कि वे उनकी बेटी को न पीटें, उन्होंने मृतिका को भी अपने साथ ले जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया, लेकिन अपीलार्थीगण ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया,15 दिनों के बाद,अपीलार्थी क्र.1 मृतिका के साथ उसके घर आया जहां अपीलार्थी क्र.1 ने 50,000 रुपये की मांग की और जब उसने अपनी असमर्थता जताई, तो अपीलार्थी क्र.1 नाराज़ हो गया। कुछ समय बाद रक्षाबंधन के त्योहार के समय अपीलार्थी क्र. 1 उसके गाँव आया और फिर से रकम की माँग की और फिर से नाराज़ हो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गया। रक्षाबंधन की सुबह उसे पता चला कि उसकी बेटी जल गई है। वह अस्पताल गई। अपीलार्थीगण द्वारा की गई क्रूरता और यन्त्रणा के परिणामस्वरूप मृतिका की मृत्यु हो गई। मृतिका के पिता शिव कुमार तिवारी(अ.सा.-3) ने भी कुमारीबाई तिवारी (अ.सा.-1) के बयान की संपुष्टि की है। मृतिका के चचेरे भाई राजेश तिवारी(अ.सा.-2) ने भी कुमारीबाई तिवारी (अ.सा.-1)के अभिकथन/बयान की संपुष्टि की है। मृतिका के चचेरे भाई राजेश तिवारी (अ.सा.-5) पिता श्री छेदीलाल तिवारी ने भी इसी तथ्य की संपुष्टि की है। उसने अपनी साक्ष्य में कहा है कि एक दिन मृतिका ने उन्हें फ़ोन करके बताया कि अपीलार्थी क्र.1 शराब का सेवन करता था और उसके साथ मारपीट करता था। उसने यह भी अनुरोध किया था कि वे उसे तुरंत ले जाएँ, वरना ससुराल वाले उसे मार डालेंगे। उन्होंने उसे वापस आने की सलाह दी। उसने यह भी कथन किया कि अपीलार्थीगण की माँग पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मृतिका के पिता ने ज़मीन बेच दी और सी.डी.डाउन हीरो होंडा मोटर साइकिल दिया था।

15. निसंदेह,कुमारीबाई तिवारी (अ.सा.-1), राजेश तिवारी (अ.सा.-2),शिवकुमार तिवारी (अ.सा.-3,देव कुमार पाठक (अ.सा.-4) और राजेश तिवारी (अ.सा.-5)मृतिका के माता, पिता और भाई हैं। जैसा कि शरद(पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि, घनिष्ठ संबंध और अनुराग की वजह से, गवाह की स्थिति में, किसी भी व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से अतिशयोक्ति करने या ऐसे तथ्य जोड़ने की प्रवृत्ति होगी जो उन्हें बिल्कुल नहीं बताए गए हों। ऐसा जानबूझकर नहीं किया जाता है, किन्तु बिना अभिप्राय के भी मृतिका के प्रति प्रेम और अनुराग कथित हत्यारे के प्रति मनोवैज्ञानिक घृणा पैदा कर सकता है और, इसलिए, न्यायालय को ऐसे साक्ष्यों की अत्यंत सावधानी और सतर्कता से जांच करनी होगी। उक्त निर्णय का कंडिका 48 इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"48. साक्षियों के साक्ष्य पर चर्चा करने से पहले,हम कुछ प्रारंभिक टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं,जिनकी पृष्ठभूमि में मौखिक कथनों पर विचार किया जाना है। वे सभी व्यक्ति जिनके बारे में कहा जाता है कि मंजू जब आखिरी बार बीड आई थीं, तब उसने मौखिक कथन किये थे, वे सभी मृतिका के करीबी रिश्तेदार और मित्र हैं। घनिष्ठ संबंध और स्नेह को देखते हुए, गवाह की स्थिति में किसी भी व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से अतिशयोक्ति करने या ऐसे तथ्य जोड़ने की प्रवृत्ति होगी जो उन्हें बताए ही न गए हों।ऐसा नहीं है कि 'जानबूझकर' किया जाता है, बल्कि बिना अभिप्राय के भी मृतिका के प्रति अनुराग और स्नेह कथित हत्यारे के प्रति मनोवैज्ञानिक घृणा पैदा करेगा और इसलिए, न्यायालय को ऐसे साक्ष्यों की बहुत सावधानी और सतर्कता से परीक्षण करनी होगी। भले ही गवाह सच का एक अंश या शायद पूरा सच बोल रहे हों, वे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आरोपी व्यक्ति के प्रति बदले की भावना से प्रेरित होंगे या और इस प्रक्रिया में कुछ ऐसे तथ्य सामने आएँगे जो गवाहों ने अनजाने में नहीं बताए होंगे या नहीं भी कहे होंगे ताकि अपराधी को सज़ा मिल सके। यह मानव मनोविज्ञान है और इसमें कोई मदद नहीं कर सकता।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. उपरोक्त सभी साक्षी मृतिका के करीबी रिश्तेदार हैं,किन्तु उनके साक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वे नजदीकी रिश्तेदार हैं। इसके लिए केवल सूक्ष्म संवीक्षा की आवश्यकता है और यदि अतिशयोक्ति और मिथ्या को, सत्य से अलग करना संभव हो, तो न्यायालय को सत्य को झूठ से पृथक करना होगा।

17. सलामत(पूर्वोक्त)के मामले में,सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थीगण के विरुद्ध स्पष्ट, ठोस व निश्चयात्मक साक्ष्यों के अभाव

में,अपीलार्थीगण को दोषी ठहराना उचित नहीं है। उक्त निर्णय का कंडिका 3 इस प्रकार है:

"3. सलीम अहमद की दोष सिद्धि से यह पुष्टि होती है कि मृतिका की आत्महत्या से मृत्यु हुई और सलीम अहमद इसके लिए ज़िम्मेदार था,चाहे उसने स्वयं ऐसा किया हो या दूसरों के साथ मिलकर। परीक्षण का एकमात्र बिंदु यह है कि क्या दहेज की माँग में माता-पिता की संलिप्तता के स्पष्ट, व निश्चयात्मक साक्ष्य हैं या वे मृतिका पर किसी भी तरह की क्रूरता कर पीड़ा पहुँचाने के लिए ज़िम्मेदार थे। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के प्रासंगिक अंशों का अध्ययन किया गया है। सभी साक्षियों ने एकमत रूप से कहा है कि पति के परिवार के सदस्य, यानी ससुराल वाले,टेलीविजन और स्कूटर के रूप में दहेज की माँग कर रहे थे। माँग की प्रकृति कुछ संकेत देती है। स्कूटर की माँग

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मुख्यतः पति द्वारा की गई होगी। यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि ससुर अपने लिए माँग कर रहे होंगे या सास को अपने उपयोग के लिए इसकी आवश्यकता थी। हालाँकि,कुछ मामलों में, टेलीविजन की माँग पर अलग-अलग विचार लागू हो सकते हैं,किन्तु यहाँ भी, यह बात प्रमुख रूप से स्पष्ट है कि पति अपने माता-पिता से ज़्यादा इसे चाहता था। इस बिंदु पर अ.सा.1 का साक्ष्य स्पष्ट है कि अक्सर झगड़े होते थे, किन्तु केवल पति-पत्नी के बीच। दूसरे शब्दों में, पति-पत्नी के बीच झगड़ों में माता-पिता की कोई भूमिका नहीं थी। मृतिका के पिता, अ.सा.7 ने भी कहा था कि उनकी बेटी ने उन्हें बताया था कि यह माँग उसके पति ने की थी, किन्तु उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इस प्रकार,अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोप सामान्य प्रकृति के हैं और पति के परिवार के मत्थे मढ़े गए थे। उनकी पहचान इसलिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की गई है क्योंकि वे उसके परिवार के सदस्य थे। अभिलेखों में यह स्पष्ट नहीं है कि उनके अलावा परिवार के और कौन सदस्य थे। अतः हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सुस्पष्ट और निर्णायक साक्ष्य के अभाव में, पति के परिवार के सदस्यों द्वारा दहेज की माँग किए जाने के अस्पष्ट आरोपों पर माता-पिता को सिद्ध दोष के दंडादेश को स्थिर रखा जाना असुरक्षित होगा। इस मामले के इस परिप्रेक्ष्य में, हम उनकी दोषमुक्त होने का उल्लेख करेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. केस(पूर्वोक्त)मामले में मृतिका के संबंधियों की प्रवृत्ति के प्रश्न पर विचार करते हुए,सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मृतिका के ससुराल वालों को केवल मृतिका के पति के करीबी सम्बंधी होने के आधार पर आरोपित नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा आरोपित किए गए कृत्यों को तर्कसंगत संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए। उक्त निर्णय का कंडिका 5 इस प्रकार है:

"5.....मामले में साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में,हम बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतिकरण में यह सार तत्व पाते हैं कि प्रत्यर्थी 3 से 5 को केवल मृतिका के पति प्रत्यर्थी क्र.2, के करीबी संबंधी होने के आधार पर मामले में आरोपित किया गया था। पति की गलती के कारण,सभी मामलों में ससुराल वालों या अन्य संबंधियों को दहेज की मांग में शामिल नहीं माना जा सकता। जिन मामलों में ऐसा आरोप लगाया जाता है, उनमें पति के अलावा अन्य व्यक्तियों पर आरोपित किए गए कृत्यों को तर्कसंगत संदेह से परे साबित करना आवश्यक है। केवल अनुमानों और निहितार्थों के आधार पर ऐसे संबंधियों को दहेज मृत्यु से संबंधित अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया जा सकता। हालाँकि, दहेज मृत्यु के मामलों में मृतिका पत्नियों के ससुराल वालों के सभी सगे संबंधियों को शामिल करने की प्रवृत्ति विकसित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हो गई है, जिसे अगर हतोत्साहित नहीं किया गया, तो वास्तविक अपराधियों के विरुद्ध भी अभियोजन पक्ष के मामले पर असर पड़ने की संभावना है। अधिकतम लोगों को दोषसिद्ध कराने के लिए अपने अति उत्साह और व्यग्रता में, मृतिका के माता-पिता अन्य संबंधियों को शामिल करने का प्रयास करते पाए गए हैं, जिससे अंततः वास्तविक आरोपियों के विरुद्ध भी अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हो जाता है, जैसा कि इस मामले में हुआ प्रतीत होता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. शरद एवं कंस (पूर्वोक्त) के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में, करीबी संबंधियों के साक्ष्य की सूक्ष्मता से परीक्षण आवश्यक है। कुमारीबाई तिवारी (अ.सा.-1) ने विशेष रूप से अभिकथन/बयान दिया है कि उनकी बेटी का टेलीफोन कॉल आने के बाद उनके भतीजे राजेश तिवारी और उनके पति अपीलार्थीगण के घर गए थे। अपीलार्थी क्र.1 दो बार उनके

गांव आया और 50,000/-रुपये की मांग की। अपीलार्थी क्र.1 शराब पीने के बाद उनकी बेटी को मारता-पीटता भी था। अपनी विस्तृत प्रति परीक्षण में, उसने कथन किया है कि उनकी बेटी की विवाह आदर्श विवाह' में सम्पन्न हुई थी और वह जानती हैं कि दहेज की मांग करना व लेना एक अपराध है। उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया है कि अपीलार्थी क्र.1 व 2 ने मोटर साइकिल की मांग नहीं की है। उन्होंने इस सुझाव से भी अस्वीकार किया है कि मृतिका ने राजेश तिवारी को फोन नहीं किया उसने इस सुझाव से भी अस्वीकार किया है कि राजेश तिवारी और उनके पति ने अपीलार्थीगण को कोई सलाह नहीं दी थी। उन्होंने इस सुझाव से भी इनकार किया है विवाह के बाद अपीलार्थी क्र.1 के कहने पर मृतिका ने नर्स की नौकरी छोड़ दी थी और वह व्यग्र, क्षुब्ध थी और इस मानसिक समस्या के परिणामस्वरूप उसने आत्महत्या कर ली। मृतिका के पिता शिव कुमार तिवारी(अ.सा.-3) ने स्पष्ट रूप से अभिकथन /बयान दिया है कि अपीलार्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्र.1 व 2 उसके घर आए और 50,000/-रुपये की मांग की और फिर अपीलार्थी क्र. 2 ने 50,000/- रुपये की मांग की। उसने दिनांक 10.8.2006 को लिखित रिपोर्ट (प्र..पी/2) दर्ज कराई है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थीगण ने मोटर साइकिल की मांग की थी और सीडी डॉन मोटर साइकिल दी थी। विवाह के बाद, अपीलार्थी क्र.1 ने भी 50,000/- रुपये की मांग की। उसने अपने प्रति परीक्षण के पैरा-9 में स्वीकार किया है कि वह पुलिस सेवा में था और वह जानता है कि दहेज मांगना और देना एक अपराध है। उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि जो लोग दहेज देने में असमर्थ थे, उन्होंने आदर्श विवाह पद्धति में विवाह कराया। उन्होंने इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि अपीलार्थी क्र.1 व 2 उनके घर नहीं आए और दहेज की मांग की। उन्होंने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 15 में स्वीकार किया है उसकी बेटी उसे मजबूर करती थी कि अपीलार्थी क्र.1 शराब पीता था और उसे पीटता था। राजेश तिवारी(अ.सा.-5)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिसे टेलीफोन किया है, ने विशेष रूप से बयान/अभिकथन में बताया है कि मृतिका के पिता ने उसकी बेटी की विवाह से पहले उसे मोटरसाइकिल दी थी। उसने अपना टेलीफोन का नंबर दिया है। उसने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 6 में स्वीकार किया है कि जब वे अपीलार्थीगण के घर गए तो उनकी बहन ने उन्हें बताया कि अपीलार्थी क्र.1 शराब पीता था और उससे लड़ाई झगड़ा करता था। उसने यह भी कहा कि वे उसे तुरंत ले जाएं, अन्यथा अपीलार्थी क्र.1 उसे मार देगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. साक्षियों के अभिकथनों में, व पुलिस द्वारा लेख्यांकित किए गए उनके पिछले अभिकथनों (प्र.डी.-1 से डी-3)में कुछ विरोधाभाष और लोप हैं। मृतिका के पिता शिव कुमार तिवारी (अ.सा.-3)ने अभिकथन/बयान दिया है कि उनकी बेटी की शादी के 15 दिन बाद, अपीलार्थी क्र.1 व 2 उनके गाँव आए और 50,000/- रुपये की मांग की, किन्तु यह साक्ष्य उनके पिछले बयान/अभिकथन (प्र.पी.-2) में यह नहीं मिलता। अभिकथन

/बयान इस भाग का समर्थन अन्य साक्षियों द्वारा नहीं किया गया है, किन्तु अन्य साक्षियों ने अभिकथित किया है कि टेलीफोन कॉल प्राप्त करने के बाद, वह अपीलार्थीगण के घर गए, जहाँ उनकी मुलाकात अपीलार्थीगण से हुई। शिव कुमार तिवारी (अ.सा.-2) के बयान/अभिकथन से प्रकट होता है कि 50,000/-रुपये की मांग अपीलार्थी क्र.1 और 2 के बीच हुई थी, लेकिन उन्होंने अतिरंजित कथन किया और अपीलार्थी क्र.3, जो अपीलार्थी क्र. 2 की पत्नी है, को इसमें फंसाने की कोशिश की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. घटना मृतिका नीरा तिवारी के विवाह के 2 महीने और 8 दिन के बीच घटित हुई, जो विवाह के कुछ ही समय बाद हुई थी और अपीलार्थी क्र. 1 व 2 द्वारा विवाह से पहले ही मोटर साइकिल की माँग की गई थी, जो अपीलार्थी क्र. 1 व 2 द्वारा दहेज की माँग की प्रवृत्ति को दर्शाती है, जो उन्होंने विवाह के बाद भी मृतिका की मृत्यु तक जारी रखी। मृतिका ने रक्षाबंधन के दिन अपीलार्थीगण के घर में आत्महत्या कर ली। पति और

उसके संबंधियों द्वारा की गई रोज़मर्रा की बातचीत, माँग या क्रूरता के साक्ष्य सामान्यतः संभव नहीं हैं।

22. मृत्यु से ठीक पहले हुई मृत्यु के प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **बलदेव सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य**[4] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि संबंद्ध क्रूरता या उत्पीड़न और मृत्यु के बीच बहुत अधिक अंतराल का संकेत नहीं करता है, बल्कि दोनों के बीच निकटस्थ और जीवंत संबंध होना चाहिए। उक्त निर्णय का कंडिका 13 इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"13. साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख और भा.द.वि. की धारा 304-ख का संयुक्त पठन से ज्ञात होता है कि यह दर्शाने के लिए सामग्री होनी चाहिए कि पीड़िता की मृत्यु से ठीक पहले उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था। अभियोजन पक्ष को

4 2008 AIR SCW 8241

प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु की संभावना को खारिज करना होगा ताकि इसे 'सामान्य परिस्थितियों से भिन्न होने वाली मृत्यु ' के दायरे में लाया जा सके। 'ठीक पहले' शब्द वहाँ अत्यंत प्रासंगिक है जहाँ भा.द.वि. की धारा 304-ख और धारा 304-ख लागू होती हैं। अभियोजन पक्ष यह दर्शाने के लिए बाध्य है कि घटना से ठीक पहले क्रूरता या उत्पीड़न हुआ था और केवल उसी स्थिति में उपधारणा लागू होती है। इस संबंध में साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 'ठीक पहले' एक सापेक्षित पद है और यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और इसके लिए कोई अनम्य सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि घटना से शीघ्र पहले की अवधि को क्या माना जाएगा। किसी निश्चित अवधि का संकेत देना जोखिम भरा होगा और यह दहेज मृत्यु के अपराध के प्रमाण के साथ-साथ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख के अधीन उपधारणा करने के लिए सामीप्यता परीक्षण के महत्व को सामने लाता है। भा.द.वि.की महत्वपूर्ण धारा 304-ख और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख में प्रयुक्त 'मृत्यु से पहले' अभिव्यक्ति सामीप्यता परीक्षण के विचार के साथ मौजूद है। कोई निश्चित अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है और 'ठीक पूर्व' अभिव्यक्ति परिभाषित नहीं किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 दृष्टांत (क) में प्रयुक्त 'ठीक पूर्व' अभिव्यक्ति का संदर्भ प्रासंगिक है। इसमें प्रावधान है कि न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है कि चोरी के 'तुरंत बाद माल पर कब्जा करने वाला व्यक्ति या तो चोर है या उसने माल यह जानते हुए प्राप्त किया है कि वह चोरी का है, जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके। 'ठीक पूर्व' शब्द के अंतर्गत आने वाली अवधि का निर्धारण न्यायालयों द्वारा प्रत्येक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना है। हालाँकि, यह प्रकट करना पर्याप्त है कि 'ठीक पूर्व' अभिव्यक्ति का सामान्यतः तात्पर्य यह है कि संबद्ध क्रूरता या उत्पीड़न और प्रश्नगत मृत्यु के बीच अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। दहेज की मांग पर आधारित क्रूरता के प्रभाव और संबंधित मृत्यु के बीच एक निकटस्थ एवं सजीव कड़ी अस्तित्व होना चाहिए। यदि क्रूरता की कथित घटना दूरवर्ती समय की है और वह इतनी जीर्ण हो चुकी है कि सम्बद्ध महिला का मानसिक संतुलन अस्त व्यस्त होने वाला नहीं है, तो इसका कोई महत्व नहीं होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी क्र.1 व 2 द्वारा विवाह से पूर्व दहेज की माँग की गई थी। यह उनकी लालच को दर्शाता है। शिवकुमार तिवारी (अ.सा.-3) ने स्पष्ट रूप से यह बयान/साक्ष्य कथन दिया है कि सभी अपीलार्थीगण ने विवाह के बाद 50,000/- रुपये दहेज की माँग की थी।

शिव कुमार तिवारी दहेज देने या माँग पूरी करने के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति थे, लेकिन हिंदू परिवार में आमतौर पर पुरुष सदस्यों के साथ बातचीत होती है। मृतिका की सास द्वारा मृतिका के पिता से दहेज की माँग या चर्चा आम नहीं है। अपीलार्थी क्र. 3 द्वारा दहेज की माँग के संबंध में शिव कुमार तिवारी के साक्ष्य का अन्य स्वतंत्र स्रोतों द्वारा समर्थित नहीं है, लेकिन बयान/अभिकथन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी क्र.1 व 2 ने पहले मोटरसाइकिल की माँग की और बाद में उन्होंने 50,000 रुपये की माँग की और कुछ ही समय के भीतर मृतिका ने आत्महत्या कर ली, वह भी अपीलार्थीगण के घर में रक्षाबंधन के त्यौहार पर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. इन परिस्थितियों में, केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलार्थी क्र.1 व 2 ने दहेज की मांग के संबंध में मृतिका पर क्रूरता और अत्याचार किया है और इस मांग के परिणाम स्वरूप, उसके पास अपना

जीवन समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था और उसने अपना जीवन समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य अपीलार्थी क्र. 1 शैलेंद्र कुमार उर्फ़ शैलू तिवारी (मृतिका के पति)और अपीलार्थी क्र.2 ज्वाला प्रसाद (मृतिका के ससुर) के विरुद्ध दहेज मृत्यु का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त हैं, किन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य अपीलार्थी क्र.3 श्रीमती शशि तिवारी के विरुद्ध दहेज मृत्यु का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। हालाँकि, संदेह साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है और केवल संदेह के आधार पर, अपीलार्थी क्र. 3 की दोषसिद्धि कायम/स्थिर रखने योग्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को उपर्युक्तानुसार सिद्धदोष ठहराया और दंडादेश दिया है। अपीलार्थी क्र.1 और 2 की दोषसिद्धि कानून के अंतर्गत कायम रखे जाने योग्य है। जहाँ तक अपीलार्थी क्र.3 की दोषसिद्धि का प्रश्न है, उसको

सिद्धदोष ठहराना विश्वसनीय और निर्णायक प्रमाणों पर आधारित नहीं है। उसकी दोषसिद्धि कानून के अंतर्गत मान्य नहीं है।

26. जहाँ तक अपीलार्थी क्र.2 का प्रश्न है, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी क्र.1 और 2 को 10 वर्ष के कठोर कारावास की दंडादेश दिया है। विवाह के 2 माह और 8 दिन के भीतर दुल्हन की मृत्यु को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी क्र.1 व 2 को दिया गया दंडादेश न्यायोचित और उचित है। मुझे आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप की कोई सम्भावना नहीं दिखती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. पूर्वगामी कारणों से, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी क्र.1, शैलेंद्र कुमार उर्फ़ शैलू तिवारी (मृतिका के पति) और अपीलार्थी क्र.2, ज्वाला प्रसाद (मृतिका के ससुर) की सिद्ध दोष ठहराने और दंडादेश को एतद्द्वारा यथावत रखा जाता है, तथापि, अपीलार्थी क्र.3, श्रीमती शशि तिवारी की दोषसिद्धि और दंडादेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख के आरोप से दोषमुक्त किया

जाता है। वह हिरासत में हैं। यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता न हो, तो उन्हें तत्काल स्वतंत्र किया जाए।

हस्ताक्षरित/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by : Tapan Kumar Saha, Advocate